मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 16–24/2017/2/34 (1905) भोपाल, दिनांक 17 APR 2018

आदेश

शासन के पृष्ठांकन क्रमांक 3394/21/32/2013/2/34 दिनांक 25.09.2013 से जारी ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य की पाईप नीति जारी की गई थी। विभाग की तकनीकी समिति की 10वीं बैठक दिनांक 09.11.2017 में की गई अनुसंशा के आधार पर एतद् द्वारा एकल ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाओं के रूपांकन के दौरान पंम्पिंग हैड, मिट्टी के स्ट्रेटा एवं लागत के आधार पर एच.डी.पी.ई. पाईप का उपयोग तकनीकी एवं मितव्ययता की दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में राज्य की पाईप नीति में प्रावधानित अन्य मटेरियल के पाईप के साथ–साथ एच.डी.पी.ई. पाईप (न्यूनतम प्रेशर रेटिंग 8 कि.ग्रा./वर्ग सेमी.) का उपयोग रॉ–वाटर एवं क्लीयर–वाटर राइजिंग मेन में प्रावधान किए जाने के लिए छूट प्रदान की जाती है। यह छूट केवल एकल ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाओं हेतु ही प्रभावशील है।

यह आदेश तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 29.01.2018 से प्रभावशील है।

17/4/2018
(राजेश शाक्यवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ.क्रमांक एफ 16–24/2017/2/34 (1906) भोपाल, दिनांक 17 APR 2018
प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र.भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक जल निगम मर्यादित, विंध्याचल भवन म.प्र. भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर/वि.यां.भोपाल।
5. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल म.प्र.।
6. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड म.प्र.।

17/4/2018
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 16–24/2017/2/34 (1907) भोपाल, दिनांक 17 APR 2018

आदेश

विभाग की तकनीकी समिति की 10वीं बैठक दिनांक 09.11.2017 में की गई अनुसंशा के अनुसार समसंख्यक आदेश दिनांक 20.09.2017 से जारी विशेष निविदा प्रपत्र–1 के खण्ड–3 अंतर्गत भाग–2 में निर्दिष्ट विशेष निविदा शर्तों की कंडिका 31 एवं 32 को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

जिन जिलों में सोलर पंप आधारित नलजल योजनाओं की डी.पी.आर. तैयार कराने हेतु सलाहकार चयनित नहीं हो सके हैं उन जिलों के कार्यपालन यंत्री विभाग में सूचीबद्ध सलाहकारों से उक्त विशेष निविदा प्रपत्र पर ऑफलाईन निविदायें आमंत्रित कर सलाहकार का चयन कर निर्धारित मापदण्डों/दिशा–निर्देशों के अनुरूप सोलर पंप आधारित नलजल योजनाओं की डी.पी.आर. तैयार कराने की कार्यवाही की जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

17/04/2018
(राजेश शाक्यवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ.क्रमांक एफ 16–24/2017/2/34 (1908) भोपाल दिनांक 17 APR 2018
प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र.भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक जल निगम मर्यादित, विंध्याचल भवन म.प्र. भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर/वि.यां.भोपाल।
5. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल म.प्र.।
6. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड म.प्र.।

17/04/2018
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 16–24/2017/2/34 (1909) भोपाल, दिनांक 17 APR 2018

प्रति,

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन, बाणगंगा, भोपाल

विषय : विभाग की तकनीकी समिति की 12वीं बैठक दिनांक 29.01.2018 में की गई अनुशंसाओं के अनुमोदन बावत्।

संदर्भ : आपका पत्र पृष्ठा. क्र. 977/मोनि./प्र.अ./लोस्वायॉवि./2018 दि. 02.02.2018

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग की तकनीकी समिति की 12वीं बैठक दिनांक 29.01.2018 (कार्यवाही विवरण संलग्न) में की गई अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाता है। तकनीकी समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जावे तथा प्रमुख अभियंता अपने स्तर पर तदानुसार निर्देश जारी करें।

सहपत्र – उपरोक्तानुसार

17/04/2018
(राजेश शाक्यवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ. क्रमांक एफ 16–24/2017/2/34 (1910) भोपाल, दिनांक 17 APR 2018
प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
2. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर/वि.यां.भोपाल।
3. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल म.प्र.।
4. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड म.प्र.।

17/04/2018
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 1911 / आर–74 / 2014 / 2 / 34 भोपाल, दिनांक 17 APR 2018

आदेश

विभाग की तकनीकी समिति की 12वीं बैठक दिनांक 29.01.2018 में की गई अनुसंशा के आधार पर रूपये 2.00 करोड़ लागत तक की निविदाओं हेतु समसंख्यक आदेश दिनांक 15.06.2017 से जारी निविदा प्रपत्र अपेंडिक्स 2.10 के Annexure- C तथा Annexure-I के संशोधित Format I-1 क्रमशः परिशिष्ट–अ एवं परिशिष्ट–ब में संलग्न हैं।

एतद् द्वारा रूपये 2.00 करोड़ लागत तक की निविदा प्रपत्र अपेंडिक्स 2.10 पर आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में उपरोक्तानुसार संशोधित Annexure- C तथा Annexure-I के संशोधित Format I-1 को लागू किया जाता है। यह आदेश तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 29.01.2018 से प्रभावशील माना जावेगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

17/04/2018
(राजेश शाक्यवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ.क्रमांक 1912 / आर–74 / 2014 / 2 / 34 भोपाल, दिनांक 17 APR 2018
प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र.भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक जल निगम मर्यादित, विंध्याचल भवन म.प्र. भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल / इंदौर / जबलपुर / ग्वालियर / वि.यां.भोपाल।
5. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल म.प्र.।
6. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड म.प्र.।

17/04/2018
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

परिशिष्ट–अ

रूपये 2 करोड़ तक की निविदाओं हेतु

Annexure – C
(See clause 5 of Section 1 -NIT)

PRE-QUALIFICATIONS CRITERIA

The bidder should have:

A. Financial

Nil

B. Physical

No Pre-qualification is required, but if the NIT has the work of construction of Intake well, Anicut, Treatment Plant and Over Head Tanks then Pre-qualification will be required. The bidder should have executed similar items of work during the **last five financial years,** which should individually not be less than 33% of the quantity/ capacity of the items included in the BOQ.

Note :-

If interested bidder has not executed these works (Intake well, Anicut, Treatment Plant and Over Head Tanks), then he can submit an agreement (on Rs. 1000 non judicial stamp paper duly notarized) at the time of bid submission with an experienced contractor stating that he will assist/guide the bidder to design and execute this work, if work is awarded. This experienced contractor should also have a valid registration in MPPWD centralised registration system at the time of agreement between the department and the qualifying bidder. This experienced contractor should have an experience certificate of execution of these works issued by an officer not below the rank of Executive Engineer.

The total value of the work to be executed by such experienced contractor(s) shall not exceed 25 percent of the Probable Amount of Contract (PAC).

If any bidder/contractor has constructed these items (Intake well, Anicut, Treatment Plant and Over Head Tanks) in private sector in Madhya Pradesh during the **last 5 years**, he can also participate in the bid process. Such bidder/contractor should request the EE PHED of the concerned District where he has completed such construction works, to issue an experience certificate. The concerned E.E will verify the said works and issue a certificate stating therein the year of construction, capacity, cost and quality of work etc.

17/04/2018
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

रूपये 2 करोड़ तक की निविदाओं हेतु

Format: I-1
(See clause 14 of Section 2 -ITB)

FINANCIAL & PHYSICAL EXPERIENCE DETAILS

The bidder should have:

A. Financial
Nil

B. Physical Requirement:
No Pre-qualification is required, but if the NIT has the work of construction of Intake well, Anicut, Treatment Plant and Over Head Tanks then Pre-qualification will be required. The bidder should have executed similar items of work during the **last five financial years**, which should individually not be less than 33% of the quantity/ capacity of the items included in the BOQ.

Execution of similar items of work during the **last 5 financial years** should not be less than the minimum physical requirement fixed for the work.

S. No.	Particulars	Actual Quantity Executed (To be filled in by the contractor)				
		Year–1	Year–2	Year–3	Year–4	Year–5
1	Physical qualification required	Yes				

Note:
1. Certificates duly signed by the employer not below the rank of Executive Engineer shall be enclosed for the actual quantity executed during the **last 5 financial years**.
2. Similar works: The similarity shall be based on the physical size, complexity, methods technology or other characteristics of main items of work viz. earth work, cement concrete, Reinforced cement concrete, brick masonry, stone masonry etc.

17/04/2018
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 16–20/2016/2/34 भोपाल, दिनांक 17 APR 2018

आदेश

विभाग की तकनीकी समिति की 12वीं बैठक दिनांक 29.01.2018 में की गई अनुसंशा के आधार पर समसंख्यक आदेश दिनांक 01.08.2017 से जारी सोलर पंप आधारित नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देशों की कंडिका 2.6.1 में प्रावधानित जल वितरण नलिकाओं के पाईप के न्यूनतम व्यास 90 मि.मी. के मानदण्ड को प्रतिस्थापित करते हुए एतद् द्वारा 63 मि.मी. किया जाता है।

यह आदेश तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 29.01.2018 से प्रभावशील है।

17/04/2018
(राजेश शाक्यवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ 16–20/2016/2/34 भोपाल दिनांक 17 APR 2018
प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र.भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक जल निगम मर्यादित, विंध्याचल भवन म.प्र. भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर/वि.यां.भोपाल।
5. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल म.प्र.।
6. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड म.प्र.।

17/04/2018
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग